

DAY-NULM

Deendayal Antyodaya Yojana-National
Urban Livelihoods Mission

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 में पुर्नगठित (Restructured) कर इसका नाम दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DEENDAYAL ANTYODAYA YOJANA-NATIONAL URBAN LIVELIHOODS MISSION (DAY-NULM) कर दिया गया है, जिसमें मुख्य बिन्दु/बाते निम्नानुसार है :-

- **DAY-NULM** में केन्द्र व राज्य का अंश क्रमशः 75 प्रतिशत व 25 प्रतिशत था, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा 60:40 कर दिया गया है।
- राज्य में **DAY-NULM** का क्रियान्वयन प्रथम चरण में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 से राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 1 लाख या अधिक आबादी वाले सभी 7 शहरों (किशनगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, हिण्डोनसिटी, गंगापुरसिटी, सुजानगढ़ व मकराना) सहित कुल 40 नगर निकायों में किया जा रहा है। जो वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य की सभी 191 नगर निकायों में प्रारम्भ कर दिया गया है।
- DAY-NULM में भी SJSRY की भांति सिर्फ बीपीएल चयनित परिवारों को ही लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है, लेकिन DAY-NULM में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 05.12.2014 द्वारा बीपीएल सूची के अलावा स्टेट बीपीएल सूची व अन्त्योदय सूची में सम्मिलित परिवार तथा ऐसे शहरी गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय रु. 3 लाख तक है, को भी DAY-NULM के अन्तर्गत लाभान्वित करने का निर्णय लिया है।
- वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत में अर्थात् दिनांक 31.03.2014 को एसजेएसआरवाई/ DAY-NULM अन्तर्गत राज्य में रु. 2331.11 लाख केन्द्रीय अंश व रु. 777.04 लाख राज्यांश अर्थात् कुल रु. 3108.15 लाख अवशेष थे, जिसका उपयोग अब DAY-NULM में किया जा रहा है। इसके साथ ही DAY-NULM अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से रूपये 4201.04 लाख व राज्य सरकार से रूपये 1400.35 लाख प्राप्त हुये थे। वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजनान्तर्गत अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी, और वित्तीय वर्ष 2016-17 में रूपये 791.00 लाख व वित्तीय वर्ष 2017-18 में रूपये 2851.00 लाख वित्तीय वर्ष 2018-19 में रूपये 2145.61 लाख प्राप्त हुये है।

DAY-NULM के घटकों का संक्षिप्त विवरण व उनके क्रियान्वयन की प्रगति निम्नानुसार है:-

1- Capacity Building and Training (CB&T) :-

- राज्य स्तर पर DAY-NULM के क्रियान्वयन के प्रबंधन हेतु माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में एक शासकीय परिषद् (Governing Council) व अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव महोदय, स्वा. शा. वि. की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) तथा प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (District Executive Committee) का गठन किया जा चुका है।
- इसके साथ ही DAY-NULM के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर State Urban Development Agency - SUDA को State Urban Livelihoods Mission - SULM बनाया जा चुका है, जो राज्य मिशन निदेशक (State Mission Director -SMD) के अधीन कार्य कर रहा है।
- निदेशालय के परियोजना प्रकोष्ठ को अब DAY-NULM के लिए State Mission Management Unit - SMMU बनाया गया है। इसी प्रकार DAY-NULM के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर District Mission Management Unit-DMMU का गठन किया जा चुका है, जो जिला परियोजना अधिकारी (District Project Officer-DPO) के अधीन कार्य कर रहा है।
- SMMU में 6 तकनीकी विशेषज्ञों तथा जिलों के DMMU में 3 से 4 तकनीकी विशेषज्ञों व नगर निकाय स्तर पर प्रति 3000 बीपीएल परिवारों पर एक सामुदायिक संगठक (Community organizer - CO) की सेवाएँ संस्था M/S T&M Services Consulting Pvt. Ltd. Mumbai के माध्यम से ली जा रही है। इन सभी का भुगतान DAY-NULM की राशि से किया जा रहा है।
- **क्षमता निर्माण (Capacity Building) :-** SMMU व DMMU के अधिकारियों व कार्मिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, सामुदायिक संगठकों (COs) व Resource Organisations को 2 से 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण पर प्रति प्रशिक्षणार्थी औसत व्यय रु. 7500/- तक किया जा सकता है, जिसके लिए प्रशिक्षण संस्था का चयन भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जा चुका है।

2- Social Mobilisation and Institution Developmenta (SM & ID) :-

- DAY-NULM में स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups - SHGs) तथा उनके संगठन पर बल दिया गया है। जिसके अनुसार प्रत्येक शहरी गरीब परिवार का न्यूनतम एक सदस्य (जिसमें महिला को प्राथमिकता दी जाये) आवश्यक रूप से SHG का सदस्य बनाया जायेगा। स्वयं सहायता समूह में 10-20 सदस्य (पुरुष या महिला) एक गुप के रूप में एक साथ अपनी छोटी-छोटी बचत को इकट्ठा कर आपस में लेनदेन करते हैं तथा गुप के सदस्य अपनी नियमित बैठके करते हैं। DAY-NULM के अन्तर्गत शहरी

बीपीएल परिवारों के SHG बनाये जाने हैं। विशेष परिस्थितियों में गैर बीपीएल को भी सदस्य बनाया जा सकता है, फिर भी न्यूनतम 70 प्रतिशत सदस्य शहरी बीपीएल परिवार से होने अनिवार्य है। योजनान्तर्गत अब तक 18252 SHGs का गठन किया जा चुका है।

- बस्ती/वार्ड स्तर पर 10–20 SHGs मिलकर अपना एक संगठन बनायेंगे, जिसे Area Level Federation-ALF कहा जायेगा तथा सभी ALFs मिलकर शहर स्तर पर City Level Federation-CLF का गठन करेंगे, बड़े शहरों में एक से अधिक CLFs भी गठित किये जा सकते हैं। प्रत्येक SHG से नामित दो सदस्य ALF के सदस्य होंगे तथा प्रत्येक ALF का एक नामित सदस्य CLF का सदस्य होगा। ALF तथा CLF का पंजीयन कराना अनिवार्य है। राज्य में अब तक 541 ALFs तथा 25 CLF का गठन किया जा चुका है।
- SJSRY के UCDN घटक के तहत गठित SHGs व Thrift and credit Societies यथावत NULM में भी कार्य करते रहेंगे तथा SJSRY में गठित NHG, NHC & CDS को भी क्रमशः SHG, ALF & CLF में परिवर्तित किया जा सकता है।
- **ROs का चयन** – SHG, ALF & CLF आदि के गठन, उनके विकास, बैंक लिंकेज तथा इससे सम्बंधित अन्य समस्त गतिविधियों के लिए Resource Organisations-ROs का सहयोग लिया जा सकता है, जिसके लिए ROs को प्रति SHG अधिकतम रु. 10,000 तक का भुगतान एनयूएलएम की राशि से सम्बंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा। RO के चयन के लिए Expression of Interest (Eoi) जारी की गई थी जिनके आधार पर सभी नगर निकायों में 113 ROs का चयन किया जा चुका है, जिनमें से 92 ROs कार्य कर रहे हैं।
- **रिवोल्विंग फण्ड** – SHG द्वारा न्यूनतम 3 माह तक कार्य करने पर उसे सहयोग हेतु DAY-NULM की राशि में से रु. 10,000 प्रति SHG रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में उपलब्ध कराये जाते हैं, इसके लिए SHG के सदस्यों में न्यूनतम 70 प्रतिशत सदस्य बीपीएल चयनित होने अनिवार्य है। SJSRY के तहत गठित SHG जिन्होंने पहले रिवोल्विंग फण्ड नहीं लिया है, उन्हें भी यह रिवोल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जा सकता है। रजिस्टर्ड प्रत्येक ALF को सहयोग हेतु रु. 50,000 रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। अब तक 12028 SHGs को रिवॉल्विंग फण्ड जारी किया जा चुका है।
- **Universal Financial Inclusion (UFI)** – NULM का उद्देश्य सभी शहरी बीपीएल परिवारों का बैंकिंग सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय मामलों में समावेश करना भी है। इसके लिए नगर निकायों द्वारा सभी शहरी बीपीएल परिवारों को वित्तीय साक्षरता (Financial literacy) के तहत व्यक्ति को बचत करना, ऋण प्राप्त करना, राशि हस्तांतरण व बीमा आदि करने की जानकारी देना सम्मिलित है। इसके लिए बैंको के माध्यम से नगर निकायों द्वारा Financial Literacy Camps का आयोजन किया जाना है।
- **शहरी आजीविका केन्द्र**— DAY-NULM के तहत प्रत्येक शहर में न्यूनतम एक शहरी आजीविका केन्द्र (City Livelihoods Center-CLC) स्थापित किया जायेगा, जहां शहरी

गरीबों द्वारा अपनी सेवायें तथा उत्पादन बेचने व बैंकिंग तथा प्रशिक्षण आदि से सम्बंधित अन्य कार्यवाहियां सम्पादित होंगी। नगर निकायों में CLCs की स्थापना शहर की जनसंख्या अनुसार निम्नानुसार की जा सकेंगी :-

1. जनसंख्या 3 लाख तक CLC की संख्या — 1
2. जनसंख्या 3 लाख से 5 लाख तक CLC की संख्या — 2
3. जनसंख्या 5 लाख से 10 लाख तक CLC की संख्या — 3
4. जनसंख्या 10 लाख से अधिक CLC की संख्या — अधिकतम 8

एक CLC की स्थापना हेतु DAY-NULM के तहत तीन किस्तों में राशि 10.00 लाख की आर्थिक सहायता देय होगी, जो भौतिक आधारभूत ढांचे के निर्माण व रिनोवेशन में उपयोग नहीं की जा सकेगी। चालू वित्तीय वर्ष के नगर निकायवार लक्ष्य आवंटित किये जा चुके हैं। इनके प्रस्ताव नगर निकायों द्वारा निदेशालय को भिजवाने हैं, जिनकी स्वीकृति निदेशालय से जारी की जायेगी।

नगर निगम, जयपुर सहित 16 शहरों में शहरी आजीविका केन्द्र प्रारम्भ हो चुके हैं तथा अन्य शहरों में प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- 3- Employment through Skill Training and Placement (EST&P) :-** DAY-NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण तथा लाभकारी रोजगार में प्लेसमेन्ट कराने का प्रावधान है, जिसमें प्रशिक्षण हेतु कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। वर्ष 2015-16 तक योजनान्तर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम रु. 15,000 व्यय करने का प्रावधान था। जो अब भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण अवधि अनुसार प्रति घण्टा निर्धारित कर दी गई है। इस भुगतान का एक अंश (20 प्रतिशत) लाभार्थी के स्वरोजगार/प्लेसमेन्ट की गुणवत्ता 12 माह तक देखने से जोड़ा जायेगा। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में से न्यूनतम 70 प्रतिशत लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट/स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित कराया जाना अनिवार्य है।

इस घटक का क्रियान्वयन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) के माध्यम से कराने हेतु आरएसएलडीसी से दिनांक 10.12.2014 को अनुबंध किया जा चुका है। अब विभाग द्वारा RSLDC के अलावा CIPET, ATDC, NACER, ILD, MSME तथा Green Jobs संस्थाओं से प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। अब तक 26668 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा लगभग 3000 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत हैं। चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार निदेशालय में एक राज्य स्तरीय काल सेन्टर की स्थापना की गई है। जिसमें योजनान्तर्गत अब तक लाभान्वित युवक युवतियों से फोन के माध्यम से प्रशिक्षण सम्बन्धी अनुभव, सुझाव अथवा शिकायतों सम्बन्धी फीडबैक लिया जा रहा है।

- 4. Self-Employment Programme (SEP) :-** DAY-NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है, जिससे बीपीएल चयनित परिवार के सदस्यों द्वारा लाभकारी स्वरोजगार/उद्यम स्थापित किये जा सकें। इस घटक के तहत बीपीएल

चयनित परिवार के सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए मुख्य रूप से निम्न नियम/शर्तें हैं :-

- लाभार्थी की आवेदन करते समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है।
- ऋण हेतु किसी प्रकार की बैंक गारण्टी/जमानत (Collateral Security) की आवश्यकता नहीं है।

इस घटक के तहत व्यक्तिगत व समूह में लाभार्थियों को निम्न सुविधाएँ/लाभ उपलब्ध कराये जा रहे हैं :-

- I. व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण व अनुदान** – इसके तहत शहरी गरीब व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम परियोजना लागत रूपये 2.00 लाख के लिए बैंक ऋण दिया जायेगा तथा इस ऋण पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में एनयूएलएम से उपलब्ध कराई जायेगी अर्थात लाभार्थी को ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत अब तक 17911 परिवारों को बैंक ऋण दिलाया जा चुका है।
- II. समूह द्वारा उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण व अनुदान** - इसके तहत SJSRY या DAY-NULM के तहत गठित स्वयं सहायता समूह (SHG) या शहरी गरीबों के न्यूनतम 5 सदस्यों के एक ग्रुप (जिसमें न्यूनतम 70 प्रतिशत शहरी गरीब अनिवार्य हैं) को स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम परियोजना लागत रूपये 10.00 लाख के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में DAY-NULM से उपलब्ध कराई जायेगी अर्थात लाभार्थियों को ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत अब तक 120 समूह ऋण दिये गये हैं।
- III. उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम** - शहरी गरीबों द्वारा उद्यम स्थापित करने हेतु दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ ही 3 से 7 दिन की उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (EDP Training) दिया जाना अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में उद्यम स्थापित/विकसित करने से संबंधित मूलभूत जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी जैसे – उद्यम का प्रबंधन, बेसिक अकाउंटिंग, वित्तीय प्रबंधन, मार्केटिंग, बैंकवार्ड व फोरवार्ड लिंकेजेज, कानूनी प्रक्रिया, लागत-आय, समूह गतिविधियां, कार्य का वितरण व लाभांश का बंटवारा आदि। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंको द्वारा ऋण भुगतान से पूर्व RSETI के माध्यम से कराया जाता है, जिस हेतु RSETI से विभाग द्वारा MoU कर करवाया जा रहा है।
- IV. स्वयं सहायता समूहों को ब्याज अनुदान (SHG-Bank Linkage)**- इस घटक के तहत बैंको द्वारा SHG के बचत खाते खोलना और उसके बाद SHG के असैसमेंट/ग्रेडिंग के उपरान्त उसकी बचत के 4 गुना तक Savings Linked Loan उपलब्ध कराया जायेगा। इस ऋण पर भी नियमानुसार ब्याज पर अनुदान देय होगा तथा महिलाओं के समूहों को इस ऋण पर अतिरिक्त 3% ब्याज अनुदान देय होगा अर्थात महिलाओं के समूहों को यह ऋण 4 (7-3) प्रतिशत ब्याज पर देय होता है। योजनान्तर्गत अब तक 1094 स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिया गया है।

V. **उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड** - उद्यम संचालन हेतु प्रतिदिन नकद राशि (Working Capital) की आवश्यकता होती है इसके लिए बैंक द्वारा उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। DAY-NULM के तहत SEP में ऋण लेने वाले एवं अन्य उद्यमियों को बैंक से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

इस घटक के तहत समस्त कार्यवाही नगर निकाय द्वारा ही की जाती है, जो निम्नानुसार है :-

- **आवेदन प्रक्रिया :-** व्यक्तिगत व ग्रुप में सभी प्रकार के ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र सम्बंधित नगर निकाय द्वारा ही बैंको को भिजवाये (Sponsored) जायेंगे। कोई भी पात्र व्यक्ति जो स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहता है, एक सादा कागज पर अपना प्रार्थना पत्र सम्बंधित नगर निकाय में प्रस्तुत कर सकता है/डाक से भिजवा सकता है। नगर निकाय को इस प्रकार के आवेदन-पत्र हमेशा (सम्पूर्ण वर्ष) स्वीकार करने होंगे तथा उनको इन्द्राज कर प्राथमिकता सूची भी बनाई जायेगी। दोनो प्रकार के ऋण हेतु आवेदनों के प्रारूप SLBC से अनुमोदन उपरान्त नगर निकायों को उपलब्ध कराये जा चुके है।

चालू वित्तीय वर्ष में नगर निकायों द्वारा अब तक व्यक्तिगत ऋण हेतु लगभग 18431 आवेदन पत्र तैयार कर बैंको को भिजवाये गये है। बैंको से 3225 आवेदन पत्र स्वीकृत कर अभी तक 3201 आवेदको को ऋण वितरण किया है।

- **टास्क फोर्स का गठन :-** नगर निकाय में व्यक्तिगत व ग्रुप में ऋण हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करने/अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन सम्बन्धित आयुक्त, नगर निकाय की अध्यक्षता में किया गया है, जिसका प्रावधान योजना की गाईड लाईन में दिया गया है। जिले की नगर निकायो द्वारा समस्त ऋण आवेदन-पत्रों को टास्क फोर्स की बैठक में प्रस्तुत करना होता है। टास्क फोर्स द्वारा आवेदन-पत्रों का परीक्षण (Scrutiny) किया जाता है तथा लाभार्थी को इन्टरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद टास्क फोर्स द्वारा आवेदन-पत्र को अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वीकार या निरस्त किया जाता है या अतिरिक्त सूचना मांग कर आगामी बैठक में पुर्नविचार हेतु लम्बित रखा जाता है। टास्क फोर्स द्वारा आवेदन-पत्र को बैंक को भिजवाने की सिफारिश पर नगर निकाय द्वारा आवेदन-पत्र बैंको को भिजवा दिया जाता है, जिसका बैंक द्वारा 15 दिवस में निस्तारण करना आवश्यक होता है तथा ऐसे आवेदन-पत्रों को विशेष परिस्थितियों में ही अस्वीकृत किया जा सकता है।
- **ब्याज अनुदान की प्रक्रिया :-** सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान प्राप्त करने के पात्र है। चालू वित्तीय वर्ष से भारत सरकार द्वारा इलाहाबाद बैंक को नोडल बैंक नियुक्त कर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ब्याज अनुदान की राशि सीधे ही लाभार्थियों के खाते में स्थानानतरित की जा रही है। ब्याज अनुदान से सम्बंधित क्लैम्स के भुगतान एक तिमाही से अधिक समय तक नगर निकाय में लम्बित नहीं रहने चाहिए।

5. **Support to Urban Street Vendors (SUSV) :-**

इस घटक के तहत स्ट्रीट वेण्डर्स का सर्वे एवं क्षमतावर्द्धन, माईक्रोएन्टरप्राइजेज के विकास में सहयोग, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा अन्य कार्य सम्मिलित है। इसके तहत समयबद्ध कार्यक्रमानुसार स्ट्रीट वेण्डर्स का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराना, उन्हें पंजीकृत करना तथा उन्हें पहचान पत्र जारी करना आदि सम्मिलित है। जिन नगर निकायों में स्ट्रीट वेण्डर्स की अनुमानित संख्या 1000 से कम है वहां निकाय अपने संसाधनों से सर्वे कर रही है तथा जहां स्ट्रीट वेण्डर्स की अनुमानित संख्या 1000 से अधिक है वहाँ संसाधनों का चयन किया जा चुका है तथा सर्वे जारी है। इनमें से 188 शहरों में सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी शहरों में टाउन वेन्डिंग कमेटियों (TVC) का गठन किया जा रहा है, अब तक 189 शहरों में TVC का गठन हो चुका है।

6. **Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH) :-** DAY-NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों में सबसे गरीब को आश्रय स्थल तथा उससे सम्बंधित अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। यह आश्रय स्थल हमेशा अर्थात् 24 घण्टे सभी 7 दिवस संचालित होगा। प्रति 1 लाख की आबादी पर स्थाई सामुदायिक आश्रय स्थल जो न्यूनतम 100 व्यक्तियों के लिए हो संचालित किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 50 वर्ग फीट अर्थात् 4.645 वर्गमीटर का स्थान उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। इस आश्रय स्थल पर सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ जैसे पानी, शौचालय, बिजली, रसोई आदि उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है। साथ ही इस आश्रय स्थल में रहने वालों को विभिन्न राजकीय योजनाओं से लाभान्वित करवाया जायेगा। सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, आंगनवाड़ी, वित्तीय समावेशन, शिक्षा व पहचान पत्र आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है। आश्रय स्थल के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों के अनुरूप राशि परियोजना के आश्रय स्थल घटक के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। इन आश्रय स्थलों का संचालन एनयुएलएम के तहत प्राप्त राशि से 5 वर्ष तक किया जायेगा, जिसके लिए 50 व्यक्तियों के आश्रय स्थल हेतु प्रतिवर्ष रु. 6 लाख उपलब्ध कराये जायेंगे।

इसके तहत अब तक नगर निकायों में 124 नवीन शैल्टर्स निर्माण की तथा 37 पुनरुद्धार की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा निकायों में 184 आश्रय स्थलों के संचालन (O & M) की भी वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

7. **Inovative and Special Projects :-** DAY-NULM के इस घटक पर कुल आवंटन की 5 प्रतिशत राशि व्यय की जा सकती है, जो केन्द्रीय अंश से ही व्यय की जायेगी, इसके लिए राज्यांश की आवश्यकता नहीं है। स्पेशल प्रोजेक्ट उपरोक्त किसी भी घटक से सम्बंधित हो सकते हैं। इस घटक के तहत Public Private Community Partnership - PPCP मोड को प्राथमिकता दी जायेगी, अर्थात् इस प्रकार के प्रोजेक्ट NGOs, CBOs, Semi-Govt. Organisations, Private Sector, Individual Association, Govt. Deptt./Agencies, ULBs, Resource Centres, International Organisations etc. द्वारा हाथ में लिये जा सकते हैं। इस तरह के प्रस्ताव किसी वर्ग/क्षेत्र/गतिविधि विशेष से सम्बंधित तथा निर्धारित समय अवधि (Time Bound) के होने चाहिए। ऐसे प्रस्ताव सम्बंधित एजेन्सी द्वारा राजस्थान सरकार को प्रस्तुत करते हुए एक अग्रिम प्राप्ति भारत

सरकार को भिजवाई जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव उपयुक्त पाये जाने पर अपनी Recommendation सहित भारत सरकार को भिजवाया जायेगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को Project Approval Committee को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें इसकी स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। इस तरह के प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक Format निर्धारित किया हुआ है, उसी Format में प्रस्ताव तैयार किया जाना है।

DAY-NULM

Deendayal Antyodaya Yojana-National
Urban Livelihoods Mission
